पत्र संख्या–169–ज0श0 एवं प्रशा0 सुधार–01/पाकालि/2008–100(1) प्र0सु0/92 दिनांक 17 जून,08

<u>कार्यालय–ज्ञाप</u>

उ0प्र0पावर कार्पोरेशन लि0 के का0ज्ञा0सं0–150–ज0श0 एवं प्र0सु0–01/पाकालि/2008–100 (1) प्र0सु0/92 दिनांक 30.5.2008 जिसके द्वारा उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0/पावर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लि0 एवं लेखा संगठन में कार्यरत अधिकारियों तथा पावर कार्पोरेशन मुख्यालय में कार्यरत अधिकारियों/ कर्मचारियों तथा विद्युत वितरण निगमों में कार्यरत अधिकारियों हेतु निर्गत स्थानान्तरण नीति में स्तम्भ–एक में दिये गये प्रस्तर 2.08 एवं 4.01 में विद्यमान नीति के स्थान पर स्तम्भ–दो में दी गई नीति रख दी जायेगी,अर्थातः–

<u>स्तम्भ–एक</u>	<u>स्तम्भ–दो</u>
विद्यमान नीति	**एतदद्वारा प्रतिस्थापित नीति**
2.08–यदि पति–पत्नी दोनो ही कार्पोरेशन की सेवा में हों या उनमें से कोई एक सरकारी सेवा में अन्यत्र तैनात हो तो भी उन्हें यथा संभव एक ही जनपद अथवा एक ही स्थान पर तैनात किये जाने का प्रयास किया जायेगा।	यदि पति–पत्नी दोनो ही कार्पोरेशन की सेवा में हों या उनमे से कोई एक सरकारी सेवा में अन्यत्र तैनात हों तो भी उन्हें, कार्पोरेशन की सेवा में कार्यरत कार्मिक के गृह जनपद तथा गाजियाबाद/नोयडा एवं वितरण निगमों के मुख्यालयों यथा कानपुर/मेरठ/आगरा/लखनऊ/ वाराणसी जनपदों को छोड़ते हुए, यथा सम्भव एक ही जनपद अथवा एक ही स्थान पर तैनात किये जाने का प्रयास किया जायेगा।
4.01–अधीक्षण अभियन्ता से मुख्य अभियन्ता एवं समकक्ष स्तर के अधिकारियों को छोड़ते हुए अन्य उन अधिकारियों जिनकी सेवानिवृत्ति में मात्र 2 वर्ष शेष है, उनके अनुरोध पर उनका स्थानान्तरण उनके गृह जनपद/गाजियाबाद/ नोयडा जनपद को छोड़ते हुए अन्य इच्छित जनपद में किये जाने पर यथा संभव विचार किया जाय।	अधीक्षण अभियन्ता से मुख्य अभियन्ता एवं समकक्ष स्तर के अधिकारियों को छोडते हुए अन्य उन अधिकारियों जिनके सेवानिवृत्ति में मात्र 2वर्ष शेष हैं, उनके अनुरोध पर उनका स्थानान्तरण, उनके गृह जनपद, गाजियावाद/नोयड़ा एवं वितरण निगमों के मुख्यालयों यथा कानपुर/मेरठ/आगरा /लखनऊ/ वाराणसी जनपदों को छोड़ते हुए, अन्य इच्छित जनपद में किये जाने पर यथासम्भव विचार किया जाय।

<u>अध्यक्ष</u>

<u>संख्याः– 169 –(1)– ज0श0 एवं प्र0सु0–01/पाकालि/2005, तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2– अध्यक्ष से संबद्ध महाप्रबन्धक उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3– प्रबंध निदेशक मध्यांचल/पूर्वान्चल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल,वि0वि0नि0लि0,लखनऊ/वाराणासी/मेरठ/ आगरा/ केस्को, कानपुर (पांच प्रतियों में)।
4– समस्त निदेशकगणों से संबद्ध निजी सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
5– समस्त मुख्य अभियन्ता(स्तर–1/2) मुख्यमहाप्रबंधक/महाप्रबंधक, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पावर ट्रांशमिशन कारपोरेशन/विद्युत वितरण निगम।
6– मुख्य अभियन्ता (जलविद्युत), उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ।
7– महाप्रबंधक (का0प्र0–प्रथम/द्वितीय/तृतीय),उ0प्र0पा0का0लि0,शक्ति भवन, लखनऊ। (5प्रतियॉ)
8– समस्त अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबंधक/अधिशासी अभियन्ता उप सचिव/अनुसचिव, उ0प्र0पा0का0लि0/ उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0/विद्युत वितरण निगम।
9– लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा)/(आय–व्ययक)/(निधि)/(प्रशासन एवं सम्प्रेक्षा), उ0प्र0 पा0का0लि0,शक्ति भवन, लखनऊ।
10– वरिष्ठ उप–महालेखाकार/महालेखाकर (आडिट)–द्वितीय कार्यालय, द्वितीय तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
11– कम्पनी सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0ट्रा0 का0लि0/विद्युत वितरण निगम, शक्ति भवन, लखनऊ।
12– समस्त अधिकारी/शिविर/अनुभाग, उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ।

आज्ञा से,

(बी0के0 भट्ट)

<u>**मुख्य महाप्रबन्धक (का0प्र0–प्रथम)**</u>